

कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/फा/भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/11/2004-05/

दिनांक:-

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
सीकर ।

विषय:-तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर की बन्द की अधिसूचना
भिजवाने बाबत ।

संदर्भ:- राजस्व (ग्रुप-1) विभाग,जयपुर का पत्र क्रमांक प.
13(8)राज/ग्रुप -1/2010 दिनांक 03.01.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य सरकार द्वारा जारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर के ग्रामों की बन्द की अधिसूचना धारा 106, 107 व 108 दिनांक 03.01.2018 की छाया प्रति संलग्न प्रेषित है। उक्त ग्रामों का नवीन अभिलेख 15 दिवस में जिला कलक्टर को सुपुर्द कर सूचना मुख्यालय को भिजवावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

हं०

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
अति०भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान,जयपुर

दिनांक:- 17-1-18

क्रमांक/फा/समसंख्यक/ 202

प्रतिलिपि:-

- ✓ 1- प्रोग्रामर,मुख्य कार्यालय,जयपुर को अधिसूचना की प्रति संलग्न प्रेषित है।
- 2- प्रभारी DILRMP प्रकोष्ठ,मु0का0

11/1/18
अति०भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान,जयपुर

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

3 JAN 2018

क्रमांक : प0 13(8)राज./ग्रुप-1/2010

जयपुर, दिनांक 3 JAN 2018

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-15) की धारा-107 व 108 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजस्थान सरकार द्वारा निर्देश दिये गये थे कि तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला-सीकर के समस्त ग्रामों में पुनः निरीक्षण कार्य अधिसूचना क्रमांक प. 13(2)राज/ग्रुप-1/2004 दिनांक 03.02.2005 के द्वारा प्रारम्भ किया जाकर निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु भू-प्रबन्ध अधिकारी, सीकर को अपर भू-अभिलेख अधिकारी नियुक्ति किया गया था। उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 162 ग्रामों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य पूर्ण होने से अधिसूचना क्रमांक प. 13(8)राज/ग्रुप-1/2010 दिनांक 29.06.2010, 22.09.2010, 29.11.2011, 05.04.2016 व 21.02.2017 से बन्द घोषित किया जा चुका है तथा शेष ग्रामों में से 3 ग्रामों यथा कुमास जागीर, भागू मील का बास एवं चैनपुरा (चंदपुरा) के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण का कार्य पूर्ण होने से इस अधिसूचना के प्रसारण होने की दिनांक से उक्त तीनों ग्रामों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य बन्द घोषित किया जाता है तथा अपर भू-अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

रु

(हरि मोहन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, सीकर।
3. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/आर. आर/11/2/11/2004-05/2701 दिनांक 22.09.2017 के क्रम में।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान पत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन करा प्रति इस विभाग एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का श्रम करावें।
5. भू-प्रबन्ध अधिकारी, सीकर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान भू-राजस्व विभाग
जयपुर
पत्र-प्राप्ति
11 JAN 2018
क्रमांक 49

5 m
11/1/18

R.R.
11-01-18

RR/33
11/1/18